यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा), अल्मोड़ा , द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा), अल्मोड़ा के माह 06/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.02.2019 से 11.02.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) अल्मोड़ा का मुख्य कार्यकलाप राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना है और निरीक्षण करना है, उनके अध्यापको को वेतन प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समस्त अल्मोड़ा जिला है।

(अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख मे)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	00	00	00	00	00	00
2016-17	00	00	00	00	00	00
2017-18	00	591.32	00	582.54	00	8.78
2018-19 (12/2018)	00	579.09	00	547.09	00	32.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	विविध प्राप्तिया	कुल प्राप्तिया	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2015-16		00		00			00	
17-2016		00		00			00	
18-2017		00		00			00	
19-2018		00		00			00	

(ii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) इकाई की श्रेणी "सी" है।
(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
1-सचिव, 2-महानिदेशक, 3-निदेशक (प्रा° शिक्षा) 4-अपर निदेशक (प्रा° शिक्षा), 5-मंडलीय अपर निदेशक (प्रा° शिक्षा), 6-मुख्य शिक्षा अधिकारी, 7-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा° शिक्षा)।

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) अल्मोड़ा की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 07/2017 व 05/2018को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1 : अंशदानी पेंशन योजना की धनराशि रू° 1,08,13,021/- का लंबित रहना।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा), अल्मोड़ा के अंतर्गत संचालित अशासकीय विधालयों मे कार्यरत कर्मचारियो /अधिकारियों का अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की धनराशि को मुख्य शिक्षा अधिकारी के अंशदायी पेंशन योजना खाते मे अविलंब जमा किया जाना चाहिये था।

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा), अल्मोड़ा के अंतर्गत संचालित अशासकीय विधालयों मे कार्यरत कर्मचारियो /अधिकारियों के माह 03/2010 से 10/2016 तक के वेतन से अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की कटौती रू° 1,081,3,021/- की धनराशि को दिनांक 06.06.2018, 25.06.2018, 04.07.2018 एवं 27.07.2018 को मुख्य शिक्षा अधिकारी के CNPS खाते (AXIS BANK) मे जमा किया गया था। इस प्रकार कार्यरत कर्मचारियो /अधिकारियों के अंशदान की धनराशि को 8 वर्ष पश्चात NPS खाते मे जमा किया गया था और धनराशि रू° 1,08,13,021/- को इकाई स्तर पर लंबित रखा गया था जबकि इस धनराशि को मुख्य शिक्षा अधिकारी के अंशदायी पेंशन योजना खाते मे अविलंब जमा किया जाना चाहिये था। इस प्रकार धनराशि को नियम के विपरित लंबित रखा गया था।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : धनराशि रू० 38.52/- लाख कि प्रविष्टि रोकड़ बही मे न करना।

शासन के पत्रांक संo- 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे ।
इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 भाग 27 के प्रस्तर 1 (अ) के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कोई लेनदेन करता है तो उसे प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि यथाशीघ्र रोकडबही मे करना चाहिए और उस पर अपना नमूना हस्ताक्षर करना चाहिए।

जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के चयनित माहो की रोकड बही की नमूना लेखा परीक्षा मे पाया गया कि रोकड़ बही मे बिल की धनराशि का विवरण न दर्शा कर केवल भुगतान की गयी धनराशि को दर्शाया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित था :

क्रम संख्या	Date	Bill amt	Cash book amt	अंतर
1	06.07.2017	413268	333268	80,000
2	06.07.2017	3282653	2635953	6,46,700
3	06.07.2017	483232	396732	86,500
4	06.07.2017	3282653	2630953	6,51,700
5	20.07.2017	413268	333268	80,000
6	20.07.2017	3282653	2640953	6,41,700
7	20.07.2017	339690	270890	68,800
8	20.07.2017	339690	270890	68,800
9	22.05.2018	3619096	2937396	6,81,700
10	22.05.2018	3556736	2877536	6,79,200
11	22.05.2018	428905	345405	83,500
12	22.05.2018	428905	345405	83,500
	TOTAL	1,98,70,749	1,60,18,649	38,52,100

इस प्रकार चयनित माहों मे देयकों (BILL) की सकल धनराशि को दर्ज न करके केवल भुगतान की गयी धनराशि दर्ज किया गया था जिसके कारण रू० 38,52,100/- की धनराशि को रोकड़ बही मे दर्ज नहीं किया जा सका था जो कि शासन आदेश के विपरीत था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि भविष्य मे रोकड़ बही मे सकल धनराशि का विवरण दर्ज किया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी लेखापरीक्षा दल की	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

(ii) **विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------------------"शून्य"-------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

3- सतत् अनियमितताएः

शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री राय साहब यादव	आहरण वितरण अधिकारी	06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले°प°) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा०क्षे०